तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	Camp Court 11/2/17
11.2.17	पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। वकील अपीलान्ट व अपीलान्ट उपस्थित। मूल नामान्तकरण दिनांक 10/2/17 को प्राप्त हो चुका है, जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील अपीलान्ट प्रकरण का लोक अदालत में निस्तारण किये जाने पर सहमत है। वकील अपीलान्ट को सुना गया। रेस्पोंडेन्ट बावजूद तामील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया नामान्तकरण सं० 110 दिनांक 23.6.89 ग्राम घटली तहसील मण्डरायल अपीलान्ट के पिता नरसिंह की विरासत से सम्बन्धित है। जिसमें अपीलान्ट का नाम पुरन्दरसिंह के स्थान पर पुलन्दर सिंह गलत दर्ज हो गया है। अपीलान्ट ने अपने सही नाम पुरन्दरसिंह होने के सम्बन्ध में अपना परिचय पत्र, आधारकार्ड व ग्राम-नींदर की जमाबंदी सम्वत 2060 से 71 की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की हैं; जिनसे अपीलान्ट का नाम पुरन्दर सिंह होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामा० सं० 110 दिनांक 23-6-89 ग्राम-घटली तह० मण्डरायल अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत नींदर निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार मण्डरायल को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वह अपीलान्ट का नाम पुलन्दरसिंह के स्थान पर पुरन्दरसिंह दर्ज कर पुनः नामान्तकरण कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तकरण तहसीलदार मण्डरायल को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 11/2/17 उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल (जिला-करौली)

पुरन्दरसिंह